न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:–45/2023
निर्णय दिनांक:–31.01.2025
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कन्हैयालाल स्वामी पुत्र स्व. श्री लादूराम जाति स्वामी निवासी ग्राम केरिया, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. जिलाधीश राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर राज.।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सीताराम जाट अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक:–31.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 490/1 रकबा 3.1107 हैक्टेयर वाके ग्राम केरिया, पटवार हल्का नीमेडा, भू.अभि. नि.क्षेत्र नीमेडा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें से वादी ने 3 बिस्वा भूमि में पुख्ता चाह का निर्माण लगभग 30–35 वर्ष पूर्व किया था जो मौके पर आज भी पुख्ता चाह स्थित है जिसका वादी खातेदारी काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि का उपयोग वादी अपनी खातेदारी खसरा नं. 444/1,438, 439. 497/6 वाके ग्राम केरिया, पटवार हल्का नीमेडा, भू.अभि.नि.क्षेत्र नीमेडा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित में उपरोक्त कुएँ से पिलाई करके उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा है। वादी 30 वर्ष अधिक समय से वादग्रस्त चाह का उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा व व्यवधान के करता हुआ आ रहा है लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से वादी राजकीय सुविधाओं से वंचित है एवं वादी को विद्युत कनेक्शन भी बिना रिकार्ड में दर्ज हुये नहीं दिया जा सकता है इसलिए ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की घोषणा वादी के हक में किया जाना न्यायोचित है। वादी ने कुएँ का निर्माण करने के समय तहसीलदार फागी को उक्त आराजी को वास्ते कुएँ की 3 बिस्वा जमीन का नियमन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा बार–बार पटवारी हल्का व तहसीलदार से जाकर मिलता रहा इस पर तहसीलदार महोदय ने वादी को आश्वासन दिया कि आपके कुएँ की जमीन का नियमन करके आपके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जावेगी लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा आज दिन तक इस संबंध में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई। इस कारण वादी ने दिनांक 20/04/2023 को उक्त आराजी का रिकार्ड निकलवाकर एक

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय फागी को दिनांक 26/04/2023 को प्रस्तुत किया था जिसकी जाँच कर दिनांक 25/05/2023 को नाम लगाने से साफ मना कर दिया एवं न्यायालय में चाराजोही करने बाबत् कहा गया इसलिए वादी को यह वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजमी आया है। वादी द्वारा तहसीलदार फागी को दिनांक 25/05/2023 को प्रार्थना पत्र पेश करने पर स्पष्ट मना कर दिया तथा ऐलानियों धमकी दी कि भूमि सरकारी है तथा तुम्हें इस भूमि से बेदखल किया जावेगा प्रतिवादी सं. 2 अपने मसूबों में कामयाब हो गये तो बदी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढ़ेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा। वादसरकार के विरूद्ध है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 सरकार के प्रतिनिधी है जिनके विरूद्ध आवश्यक है। वादी के साथ ही ग्राम के कुछ व्यक्तियों ने आराजी खसरा नं. 490/3 एवं 490/2 में भी कुएँ का निर्माण किया था जिसको तहसीलदार फागी द्वारा पूर्व में ही नियमन करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया था। लेकिन वादी के प्रार्थना पत्र बाबत् कुआ नियमन को अनदेखा करते हुये आज तक रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है। इसलिए वादी को वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया जाना लाजमी हुआ है। वाद कारण दिनांक 25/05/2023 को प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार फागी द्वारा बादी के कुएँ की चाह का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने से साफ मना करने एवं वादी को भूमि से बेदखल करने की ऐलानियों धमकी दिये जानें से उत्पन्न हुआ है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है। विवादग्रस्त भूमि व पक्षकारान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब मय फर्द मौका रिपोर्ट पेश किया गया एवं अपने जवाब मे बताया कि ग्राम कैरिया के खसरा नं0 490/1 किस्म गैर मुमकिन नदी में वादी कन्हैयालाल स्वामी पुत्र लादूराम जाति स्वामी निवासी कैरिया ने मौके पर गैर मुमकिन चाह का निर्माण कर रखा है। खसरा नं. 490/1 में बने हुए कुंए से वादी स्वयं के नाम खातेदारी खसरा नं. 444/1, 438, 439 एवं 497/6 में पिलाई करता आ रहा है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के अनुसार ग्राम कैरिया के आराजी खसरा नं. 490/1 किस्म गै.मु.नदी रकबा 3.1107 हैक्टेयर के मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि वादी ने खसरा नं. 490/1 में बने हुए कुंए से वादी स्वयं के नाम खातेदारी खसरा नं. 444/1, 438, 439 एवं 497/6 में फसल को पानी पिलाता है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वांद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वादी के वाद पत्र व राज पैरोकार के जवाब का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। निर्णय से पूर्व धारा 88 के परिपेक्ष्य में वादी के वाद पत्र का विवेचन आवश्यक है।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसार :–

खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए वाद– (1) अभिधारी या सह–अभिधारी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा। खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है, वाद ला सकेगा। उप–अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्ध इस घोषणा के लिए कि वह उप–अभिधारी है, वाद ला सकेगा। राज्य सरकार से भिन्न कोई भूधारक, किसी जोत के अभिधारी या सह–अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप–अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(17) के अनुसार कुंआ जोत पर एक सुधार कार्य है और जोत का भाग माना गया है, परन्तु जहां कुआ वादी की जोत से संलग्न नहीं है धारा 88 व 91 के अधीन वाद चलने योग्य नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के अनुसार गैर मुमकिन नदी भूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 (8) के अनुसार :–

सुखाचार अधिकार का संरक्षण – लागू होना – धारा 88 व धारा 188 या धारा 212 या आदेश 39, नियम 1 सि.प्र.सं. को सुखाचार अधिकार (अर्थात–सरकारी कुए से पानी खेंचकर किसी दूसरे के खेत में होकर पानी लाने के लिए) के संरक्षण के लिए जागृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भूमि धारा 5(17) के अर्थ में जोत नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार :–

भूमियों जिनमें खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे– इस अधिनियम में या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि या अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी किसी नदी या तालाब के तल की भूमि जिसका आकस्मिक रूप से यदा कदा खेती के लिए उपयोग किया जाता हो।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 – 2076 वाके ग्राम कैरिया के खाता सं0 1 के खसरा नं. 490/1 गै. मु.नदी दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपने वाद में वर्णित भूमि 490/1 वाके ग्राम केरिया तहसील फागी में स्थित भूमि में से वादी 3 बिस्वा भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाकर कुंए का नियमन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाना चाहता धारा 88 के तहत वाद लाने का अधिकार एक अभिधारी, एक सह–अभिधारी, एक खुदकाश्त का अभिधारी, एक उपअभिधारी, एक भू– धारक (राज्य सरकार के अलावा) को ही है। जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे उक्त विवादग्रस्त की किस्म

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(4)

गै0मु0 नदी दर्ज है जबकि गै0मु0 नदी भूमि की श्रेणी मे नही आती है। एवम् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित श्रेणी में माना है। अतः विवेचन, विश्लेषण अनुसार गैर मुमकिन नदी नें स्थित कुएं का वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं है। वादी का वाद खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. कन्हैयालाल स्वामी पुत्र स्व. श्री लादूराम जाति स्वामी निवासी ग्राम केरिया, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1 जिलाधीश राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर राज.

2 तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादीगण

::–वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा::–

मु0न0:– 45 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सीताराम जाट हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद खारिज किया जाता है।**

निज.........–.........मुबलिग.........–.........बाबत.........–.........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....–.........फीसदी.........–.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा.....फागी, जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

31/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर